रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29062020-220247
CG-DL-E-29062020-220247

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 317]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 2020/आषाढ़ 8, 1942
No. 317]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 2020/ASADHA 8, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2020

सा.का.नि.419(अ).—(अ) केंद्रीय सरकार एतद्वारा गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का 57) की धारा 32 उप-धारा (२) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (6 मासिक प्रशिक्षण) नियमावली, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। अर्थात:

1. (1) इन नियमों का नाम गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (6 मासिक प्रशिक्षण) संशोधित नियमावली, 2020 है।

1. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (6 मासिक प्रशिक्षण) नियमावली, 2014 (जिसे इसके बाद यहां उक्त नियम कहा गया है) में,

(क) नियम 6 में उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे , अर्थात् : -

'2 ऐसे विद्यमान रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को जो एक वर्ष के अनुभव या छह मासिक प्रशिक्षण के आधार पर किसी जननिक क्लीनिक या अल्ट्रासाउंड क्लीनिक या इमेजिंग केन्द्र में, अल्ट्रासाउंड की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं, उक्त प्रशिक्षण को करने से छूट प्राप्त होगी यदि वे अनुसूची -2 में विनिर्दिष्ट सक्षमता आधारित परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं।

(3) यदि कोई चिकित्सा व्यवसायी तीन प्रयासों के बाद भी सक्षमता आधारित उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, तो उन्हे रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित छह मासिक प्रशिक्षण का पूरा करना अपेक्षित होगा।

(ख) अनुसूची -II में, अंतिम परीक्षण के लिए मूल्यांकन हेतु दिशानिर्देश शीर्षक के तहत,, मद II के बाद निम्नलिखित मदें अन्त:स्थापित की जाएगी अर्थात:-

'II (क) प्रयोगात्मक मूल्यांकन (अंतिम परीक्षा)

(क) लॉगबुक के लिए 20 अंक

(ख) निदर्शनों के लिए 50 अंक

(ग) 30 अंकों के मौखिक प्रश्न

II. (ख) प्रयोगात्मक मूल्यांकन (सक्षमता आधारित मूल्यांकन)

(ख) निदर्शनों के लिए 60 अंक

(ग) 40 अंकों के मौखिक प्रश्न

टिप्पण: परीक्षक निदर्शनों के संबंध में इन 10 में से अंतिम परीक्षा के लिए किन्ही पांच का और सक्षमता आधारित मूल्यांकन के लिए किन्ही दस का चयन कर सकता है और प्रत्येक को 10 अंक आबंटित कर सकता है।

III. मौखिक परीक्षा -अंतिम परीक्षा के लिए तीन केस वाली स्थितियों पर 30 अंक और सक्षमता आधारित मूल्यांकन के लिए चार केस वाली स्थितियों पर 40 अंक

3.नियम 7 में, निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात

(ख) प्रसूतिविज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान या विकिरण चिकित्सा विज्ञान में स्नातकोत्तर कार्यक्रम की प्रस्थापना करने वाले भारतीय चिकित्सा परिषद से मान्यताप्राप्त संस्थान ;

(ग) प्रसूतिविज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान या विकिरण चिकित्सा विज्ञान में पूर्णकालिक आवासीय डीएनबी कार्यक्रम की प्रस्थापना करने वाले संस्थान।

4. नियम 8 में, निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित होंगे, अर्थात्: -

(क) ऐसे प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए भर्ती में,, शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:4 होगा।

(ख) राज्य स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा की योग्यता सूची या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य उपयुक्त योग्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।

(ग) सरकार में सेवारत अभ्यर्थियों के लिए 50% सीटों तक की वरीयता दी जाएगी।

(घ) अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों, जहां अल्ट्रासोनोग्राफी में छह मासिक प्रशिक्षण देने वाला कोई मान्यताप्राप्त संस्थान नहीं हैं, के उम्मीदवारों को राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परस्पर निर्णीत सीटें दी जाएगी ।

5. नियम 9 में, निम्नलिखित शब्द हटाए जाएंगे, अर्थात " 1 जनवरी 2017 को या उससे पहले "।

6. नियम 9 में, 9 (1) के रूप में निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किए जाएंगे , अर्थात:-

राज्य या संघ राज्य क्षेत्र इस अधिसूचना के दो वर्ष के अंदर विद्यमान पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी हेतु सक्षमता आधारित परीक्षा पूरा करना होगा ।

7. नियम 14 में, 14 (क) के रूप में निम्नलिखित परंतुक अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात:-

'अल्ट्रासोनोग्राफी और सक्षमता आधारित परीक्षा में छह मासिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण किए जाने का प्रमाणपत्र चिकित्सा निदेशक द्वारा जारी होगा और संबंधित राज्य समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

[फा.सं. वी-11011/11/2019-पीएनडीटी]

डॉ. मनोहर अगनानी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II,खंड -3 उपखंड (i) में 9 जनवरी, 2014 की संख्या सा.का.नि. 13(अ) और 14 (अ) के तहत प्रकाशित हुए थे जिन्हें बाद में निम्नलिखित के तहत संशोधित किया गया :

- सा.का.नि. 77 (अ) दिनांक 31 जनवरी, 2014
- सा.का.नि. 119 (अ) दिनांक 24 फरवरी, 2014
- सा.का.नि. 60 (अ) दिनांक 28 जनवरी, 2015 और
- सा.का.नि. 492 (अ) दिनांक 23 मई, 2017

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th June, 2020

G.S.R. 419(E).—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 32 of the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994 (57 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six Months Training) Rules, 2014, namely :-

1. (1) These rules may be called the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six Months Training) Amendment Rules, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Pre-conception and Pre-natal Diagnostic Techniques (Prohibition of Sex Selection) (Six Months Training) Rules, 2014.(hereinafter referred to as the said rules).

   (a) In rule 6 for sub-rule (2), the following sub-rules shall be substituted namely :-

"(2) The existing registered medical practitioners, who are conducting ultrasound procedures in a Genetic Clinic or Ultrasound Clinic or Imaging Centre on the basis of one year experience or six months training are exempted from undertaking the said training provided they are able to qualify the competency based assessment **as** specified in Schedule II.

(3) If a medical practitioner fails to clear the said competency based examination after three attempts, he shall undertake the complete six months training, as provided under these rules, for the purpose of renewal of registration."

(b) In Schedule II, under the heading "Guidelines for assessment for Final Examination", after items II, the following items shall be inserted namely: -

"II. (a) PRACTICAL ASSESMENT FINAL EXAMINATION

(a) 20 marks for log book
(b) 50 marks for demonstrations
(c) 30 marks viva

II. (b) PRACTICALASSESMENT COMPETENCY BASED ASSESSMENT

(a) 60 marks for demonstrations
(b) 40 marks viva

Note: The examiner can choose any FIVE for Final Examination and SIX for Competency Based Assessment of these TEN for demo and allot 10 marks each

III. Viva – 30 marks on three case situations for Final Examination and 40 marks on four case situations for Competency Based Assessment

3. In rule 7, the following words shall be substituted, namely:-

(b) Medical Council of India recognised institutions offering Post Graduate programmes in Obstetrics *and* Gynaecologyor Radiology;

(c) Institutions offering full time residency DNB programme in Obstetrics and Gynaecology or Radiology.

4. In rule 8, the following words shall besubstituted, namely:-

(a) Intake for admission to such trainings shall be up to 1:4 teacher to students ratio.
(b) Selection shall be as per the merit list of the State Post Graduate Entrance Exam or any other appropriate merit recognised by the Central Government/State Governments.
(c) Preference upto 50 percent of the seats shall be given to the Government in service candidates.
(d) Seats as mutually decided by the States/Union Territoriesshall be provided to the candidates from other States or Union Territories where there are no accredited institutes for imparting Six Months Training in ultrasonography.

5. In rule 9, the following words shall be deleted,namely:-

"On or before 1st January, 2017"

6. In rule 9, the following rule shall be inserted as 9 (1), namely:-

The States/Union Territories shall complete the Competency based assessment for already registered medical practitioners within two years of this notification."

7. In rule 14, the following proviso shall be inserted as 14 (a), namely:-

"Certificate for qualifying Six Months Training in Ultrasonography and Competency based assessment shall be issued by Director Medical Education and countersigned by the concerned State Appropriate Authority"

[F. No. V.11011/11/2019-PNDT]

DR. MANOHAR AGNANI, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R 13 (E) and 14 (E), dated the 9th January, 2014 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 77 (E), dated the 31st January 2014;
2. G.S.R. No. 119(E), dated the 24th February, 2014;
3. G.S.R. No. 60 (E), dated the 28th January, 2015and
4. G.S.R. No. 492 (E), dated the 23rd May, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR